



भंगिग का अर्थ- इस अधिनियम के अनुसार रागिग स आनन को मजाक पुर्ण व्यवहार से या अन्य, प्रकार से कार्य करने के लिये उत्प्रेरित वाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास होना दर्शित हो या उसे अभिवास सदीप-परिरोध या क्षति या उस पर अपराधिक बल के प्रयोग या सदीप अवरोध सदीप परिरोध क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग कर अभिवास देते हुए किसी विधिपूर्ण कार्य करने से रोकता है।

भंगिग का प्रतिरोध- किसी भी शैक्षणिक संस्था का छात्र प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः न तो भंगिग करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।

अपराध की प्रकृति- इस अधिनियम के तहत संत्राज किए जाने योग्य प्रत्येक संज्ञेय व गैर जमानतीय है।

दण्ड- यदि किसी छात्र/छात्रा के द्वारा अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन किया जाय तो उसे सश्रम कारावास (दोनों में किसी भी भांति के कारावास) पांच वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना से जो कि पांच हजार रु. तक हो सकेगी या दोनों ही दण्डित किया जा सकेगा।

अपराध का प्रथम वर्ग- इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग दण्ड द्वारा किया जावेगा।

छात्र/छात्रा का नियोग्यता- यदि किसी छात्र/छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डित किया जाय तो उस शिक्षण संस्था का प्रमुख/अध्यक्ष/प्रिन्सिपल/प्रिन्सिपल से निलंबित तथा शैक्षणिक संस्था प्रिन्सिपल/अध्यक्ष/प्रिन्सिपल के तहत सिद्धदोष

साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित जमानतीय विद्यार्थीशालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आयेगा, किसी भी परिस्थिति में उसका वेशभूषा चाहिए।

04. महाविद्यालय की संपत्ति भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की शांति सुव्यवस्था प्रत्येक छात्र/छात्राओं को चाहिए, शांति कायम रखने में और उन्हें सुधारने में सहयोग देगी भी कुप्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो भाग और न दूसरों को उकसावेगी। अभद्र भाषा का प्रयोग, मारपीट या अन्य अस्वीकार्य प्रयोग नहीं करेगी। ऐसा करते पाये जाने पर सजा जावेगी।

05. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में वह पूरी तरह सहयोग देगी और भाग लेगी की पूर्व अनुमति के कक्ष अथवा परीक्षा से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। महाविद्यालय परीक्षा छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रवेश देने से महाविद्यालय द्वारा रोका जा सकता है।

06. प्रत्येक छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रवेश देने से महाविद्यालय परीक्षा में अर्लील अनिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगी।

07. महाविद्यालय सीमा में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन वर्जित है।

08. छात्र/छात्राओं को यदि कोई कठिनाई हो तो सहायक प्राध्यापकों अथवा प्राचार्य के समक्ष आने और शांतिपूर्ण ढंग से समस्या प्रिवेदन प्रस्तुत करेगी।

09. किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग छात्र/छात्राओं को चाहिए।

10. छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में सदा शांति और सहायता के साथ रहेंगे।

11. छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में सदा शांति और सहायता के साथ रहेंगे।

12. छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में सदा शांति और सहायता के साथ रहेंगे।

13. छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में सदा शांति और सहायता के साथ रहेंगे।

14. छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में सदा शांति और सहायता के साथ रहेंगे।

15. छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में सदा शांति और सहायता के साथ रहेंगे।

16. छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में सदा शांति और सहायता के साथ रहेंगे।

17. छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में सदा शांति और सहायता के साथ रहेंगे।

18. छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में सदा शांति और सहायता के साथ रहेंगे।

19. छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में सदा शांति और सहायता के साथ रहेंगे।

20. छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में सदा शांति और सहायता के साथ रहेंगे।



छ.म. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रतियोगिता (रेगिमेंट) का प्रतिषेध अधिनियम 2001

रैगिंग का अर्थ - इस अधिनियम के अनुसार रैगिंग से अभिप्राय है कि किसी छात्र-छात्रा को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य, प्रकार से कार्य करने के लिये उत्प्रेरित बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास होना दर्शन हो या उसे अभिशास सद्योप-परिरोध या क्षति या उस पर अपराधिक बल के प्रयोग या सद्योप अवरोध सद्योप परिरोध क्षति या अपराधिक बल का प्रयोग कर अभिशास देने हुए किसी विधिपूर्ण कार्य करने से रोक्ता है।

रैगिंग का प्रतिरोध - किसी भी शैक्षणिक संस्था का छात्र प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः न तो रैगिंग करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।
अपराध की प्रकृति - इस अधिनियम के तहत संज्ञान किए जाने योग्य प्रत्येक संज्ञेय व गैर जमानतीय है।

दण्ड - यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन किया जाए तो उसे साधारण या सश्रम कारावास (दोनों में किसी भी भाँति के अधिकतम अवधि पाँच वर्ष तक हो सकेगी या जूयाना से जो कि पाँच हजार रुपये तक हो सकेगा) या दोनों से ही दण्डित किया जा सकेगा।

अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।
छात्र-छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।

छात्र-छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।

छात्र-छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।

छात्र-छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।

छात्र-छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।

छात्र-छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।

छात्र-छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।

छात्र-छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।

छात्र-छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।

छात्र-छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।

छात्र-छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।

छात्र-छात्रा के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रकृति द्वारा किया जा सकेगा।

भागीदार होगा।

02. जिन छात्र/छात्राओं का आचरण असंतोषजनक रहा अथवा जिनके प्रवेश से महाविद्यालय में अशांति की आशंका है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

03. प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित अध्ययन पर लगाए। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्यक्रम कार्यक्रमों में भी पूरा सहयोग दें। विद्यार्थीशालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आवेगा, किसी भी परिस्थिति में उसकी वेशभूषा उल्लेख नहीं होनी चाहिए।

04. महाविद्यालय की संगति भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि को शांति मुख्यवस्था सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रत्येक छात्र/छात्राएँ लक्ष्य लेगी, शांति कायम रखने में और उन्हें सुधारने में सहयोग देनी। इसके विपरीत किसी भी कृतप्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो भाग और न पुस्तकों को उकसावेगी। अभद्र व्यवहार, अस्सदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या अन्य अस्वीकार्य प्रयोग नहीं करेगी। ऐसा करते पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।

05. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में वह पूरी तरह सहयोग देगी और भाग लेंगे तथा बिना प्रार्थार्य की पूर्ण अनुमति के कक्षा अथवा परीक्षा से अनुपस्थित नहीं करेगी। महाविद्यालय परीक्षा में नहीं बैठने वाले छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय परीक्षा में प्रवेश देने से महाविद्यालय द्वारा रोका जा सकता है।

06. प्रत्येक छात्र/छात्राएँ अपने व्यवहार में सहायक और शिक्षकों से प्रभत का व्यवहार करेंगे और कभी अश्लील अतिव्यय या अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे।

07. महाविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का सेवक बर्तन है।

08. छात्र/छात्राओं को प्रवेश करने के लिए प्रवेश प्रत्येक प्राध्यापकों अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली में प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण है।

किसी प्रकार का कलंक न लगे ऐसा करने का मार्ग छात्र/छात्राएँ नहीं अपनावेगीं।

अपनी सगत्याओं के विषय में राजनीतिक सहयोग नहीं करेंगीं।

प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण है।

किसी प्रकार का कलंक न लगे ऐसा करने का मार्ग छात्र/छात्राएँ नहीं अपनावेगीं।

अपनी सगत्याओं के विषय में राजनीतिक सहयोग नहीं करेंगीं।

प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण है।

किसी प्रकार का कलंक न लगे ऐसा करने का मार्ग छात्र/छात्राएँ नहीं अपनावेगीं।

अपनी सगत्याओं के विषय में राजनीतिक सहयोग नहीं करेंगीं।

प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण है।

श्री भेष
 श्री राधेश
 श्रीमति गरिमा
 श्री राजकुमार



छ.म. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (हेगिंग) का प्रतिबंध अधिनियम 2001

हेगिंग का अर्थ- इस अधिनियम के अनुसार हेगिंग से अभिप्राय है कि किसी छात्र-छात्रा को मनाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य, प्रकार से कार्य करने के लिये उपेक्षित वाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हानय या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास होना सम्भव हो या उसे अभिशास सदीय-परिरोध या क्षति या उस पर अत्याधिक बल के प्रयोग का सदीय वाध्य सदीय परिरोध क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग कर अभिशास देने हुए किसी विधिपूर्ण कार्य करने से रोकता है।

हेगिंग का प्रतिबंध किसी भी शैक्षणिक संस्था का छात्र प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः म जो हेगिंग करेगा और नहीं उसकी भागी रहेगा।

अपराध की प्रकृति- इस अधिनियम के तहत संज्ञात किए जाने वाले प्रत्येक संग्रह्य व गैर जमानतीय है।

पंजाब- यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है वह उसके द्वारा संपन्न करारवाम (दौतों में किसी भी धाति के कारावास) से सजाया जाएगा।

अपराध का विषय- यदि किसी छात्र/छात्रा के विरुद्ध अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक प्रणाली के तहत दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण किया जावेगा।

छात्र/छात्रा के अधिकार- यदि किसी छात्र/छात्रा के विरुद्ध अपराध का विचारण प्रमुख/अध्यक्षक संस्था से निलंबित तथा शैक्षणिक परिपत्र द्वारा अधिनियम के तहत किया जावेगा।

विद्यार्थी आचरण दिशानिर्देश

01. छात्र/छात्रा के शारीरिक महाविद्यालयों में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के विद्यार्थी का अहारा: पालन करना होगा। प्रवेश करने व करने पर वह शस्त्र द्वारा निर्धारित इलाकके कार्यवाही का भागीदार होगा।
02. निच काठ- छात्रों का आचरण अत्यंत सज्जनक रहा अथवा निम्नलिखित प्रकार से महाविद्यालय में अस्वच्छता को आर्तक है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
03. प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित अनुष्ठान पर लगाए। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित कार्यक्रमों में भी पूरा सहयोग दे। विद्यार्थीनामिका के अंतर्गत महाविद्यालय आयेगा, किसी भी परिस्थिति में उसकी बेव्यवस्था उत्तमकर नहीं होने चाहिए।
04. महाविद्यालय की संवर्धन ध्वज, पुष्पमाला, प्रयोगशाला आदि की सजावट सुव्यवस्था पूर्व व्यवहार में प्रत्येक छात्र/छात्रा के अंतर्गत, प्रशान्त काय रखने में और उन्हें सुरक्षित में रखने में। इसके विनाशकारी भी कुपयुक्त में प्रत्येक छात्र/छात्रा को उत्तमकर से न ही भगा और न दूसरी को उत्तमकर से। अत्यंत व्यवहार का प्रयोग, सार्वजनिक वास्तुओं का प्रयोग नहीं करे। ऐसा करने वाले को पर उपेक्षा निरस्त का दिया जावेगा।
05. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में वह पूर्ण तरह सहयोग देते और भला होने तक किन कार्यक्रमों को पूर्ण अनुमति के कर अत्यंत सज्जनक नहीं करे। महाविद्यालय परीक्षा में नहीं करने वाले छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय परीक्षा में प्रवेश देने से महाविद्यालय द्वारा रोकता है।
06. प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने व्यवहार में सदाचारिता और निष्ठा को सदाचारिता को और अपनी अस्वच्छता अत्यंत सज्जनक व्यवहार नहीं करे।
07. महाविद्यालय सेवा में किसी भी प्रकार का सहायक कार्य का सेवक नहीं करे।
08. छात्र/छात्रा को यदि कोई कठिनाई हो तो महाविद्यालय प्रशासन को सूचित करे।
09. छात्र/छात्रा को यदि कोई कठिनाई हो तो महाविद्यालय प्रशासन को सूचित करे।

राष्ट्रीय सेवा योजना
NATIONAL SERVICE SCHEME

To develop task of nation through the student
 To develop through co-education

HAHEED DO...
JAI...

NSS
 ←

- श्री
- श्री
- श्री
- श्री
- श्री मु
- श्री मेघ कुमार आ
- श्री ईश्वर
- श्री राधेश्याम साहू
- मति गरिमा भारदीय (म)
- जकुमार ठाकुर (त)
- श्री डाकेश्वर साहू
- गलय अनुष्ठा आयोग नई दिल्ली
- श्री श्री श्री
- श्री श्री श्री
- श्री श्री श्री

